288

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3029–एक/2016 – विरूद्ध – आदेश दिनॉक 24–6–2016 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर – प्र0क्र0 47–अ–6/2012–13 अपील

1– श्रीमती मधु सोनी पुत्री शंभूदयाल
पत्नि महेशचंद्र सोनी निवासी बार्ड नं.9 तमराई मोहल्ला छतरपुर
2– श्रीमती सुमन सोनी पत्नि कमलेश
बार्ड नं.9 समराई मोहल्ला छतरपुर
---आवेदकगण

विरूद्ध

1– बाबूखॉ पुत्र खेराती खॉ
निवासी नया मोहल्ला छतरपुर
2– नन्नेसिंह पुत्र फूल सिंह
नरसिंगढ़ पुरवा वगौता जिला छतरपुर
3– म0प्र0सहकारी भूमि विकास बैंक
व्दारा विक्रय अधिकारी ईसानगर शाखा
तहसील व जिला छतरपुर
4– बाबू सिंह 5– महन्ती सिंह पुत्रगण खलगसिंह
निवासी ग्राम सारानी जिला छतरपुर
6– मु0किरण सिंह पत्नि रणधीर सिंह
7– मु0अरूणासिंह पत्नि महेन्द्र सिंह
दोनों ग्राम ललगुंवा तहसील राजनगर, छतरपुर
8– म0प्र0शासन
---अनावेदकगण

(आवेदकगण की अभिभाषक श्री श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा)
(अनावेदक क्र–1 के अभिभाषक श्री श्री दिवाकर दीक्षित)
(म0प्र0शासन के पैनल लायर श्री राजीव गौतम)

आ दे श

(आज दिनॉक 31 – 1 –2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग,सागर के प्रकरण कमांक 47 अ–6/12–13 अपील में पारित आदेश दिनॉक 24–6–16 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह हैं ग्राम सराबी की भूमि सहकारी भूमि विकास बैंक छतरपुर ने 10-7-1996 को नीलामी के आधार पर नन्हे सिंह को विक्रय की गई, जिस पर से सहायक बंदोवस्त अधिकारी दल कमांक-2 छतरपुर ने प्रकरण कमांक 5 अ-6/98-99 में पारित आदेश दिनांक 7-1-2000 से केता नन्हे सिंह का नामान्तरण कर दिया। नन्हें सिंह ने भूमिस्वामी बनने के उपरांत क्रय की गई भूमि को दो प्रथक प्रथक विक्रय पत्र दिनांक 15-3-13 से आवेदक क्रमांक 1 एंव आवेदक कमांक 2 को विक्रय कर दिया।

सहायक बंदोवस्त अधिकारी दल क्रमांक-2 छतरपुर के प्रकरण कमांक 5 अ-6/98-99 में पारित आदेश दिनांक 7-1-2000 के विरूद्व बाबू खॉ बल्द खेराती खॉ ने अपर कलेक्टर, छतरपुर के यहॉ अपील कमांक 156/अ-6/2000-01 प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर छतरपुर ने आदेश दिनॉक 20-6-2012 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेशं के विरूद्व बाबू खॉ बल्द खेराती खॉ ने अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के न्यायालय में दिनॉक 1-3-2013 को अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन सहित अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने प्रकरण कमांक 47 अ-6/12-13 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनॉक 24-6-16 से अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उपस्थित पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक क-2 से 7 अनुपस्थित है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि जब अपर कलेक्टर के न्यायालय में अनावेदक कमांक 1 के अभिभाषक ने दिनांक 27-4-12 को तर्क प्रस्तुत कर आदेश की तिथि 14-5-12 नोट की है तब उनका दायित्व था कि वह इस दिन उपस्थित होकर आदेश की पूछताछ करते और आदेश पारित न होने की दशा में आगामी तिथि की मांग करते। उन्होंने ध्यान आकर्षित किया कि आवेदक के अभिभाषक ने आदेश

दिनांक 20-6-12 को इसी दिन आर्डरशीट पर टीप किया है और उनके हस्ताक्षर है । अपर आयुक्त के समक्ष अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में गलत तथ्य दिये हैं जिन पर ध्यान दिये बिना अपर आयुक्त व्दारा अनुचित विलम्ब को माफ करने में भूल की गई है।

अनावेदक के अभिभाषक ने बताया कि अपर कलेक्टर ने नियत दिनांक को आदेश पारित नहीं किया है जिसके कारण अपर आयुक्त के समक्ष अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में दिया गया विवरण सही है एंव अपर आयुक्त ने अंतरिम आदेश दिनांक 24-6-16 में उचित निर्णय लिया है इसलिये आवेदकगण व्दारा मिथ्या तथ्यों पर आधारित निगरानी निरस्त की जावे।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 24-6-16 के क्रम में अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण कमांक 156 अ-6/2000-01 में पारित आदेश दिनांक 20-6-12 के अवलोकन पर पाया गया कि आदेश दिनांक 20-6-12 राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र पर टंकित हुआ है तथा आदेश के पृष्ठ 3 के हासियें में अनावेदक कमांक -1 (अपर आयुक्त के न्यायालय में अपीलकर्ता) के अभिभाषक के टीप वावत् हस्ताक्षर हैं । पक्षकार के अभिभाषक को आदेश की जानकारी आदेश पारित होने के दिनॉक को हो गई - माना जावेगा कि आदेश की जानकारी पक्षकार उसी दिन हो गई है। अपर आयुक्त न्यायालय में प्रस्तुत अपील के संलग्न अवधि विधान की धारा-5 में यह अंकित करना कि 14-5-12 नियत दिनांक को आदेश पारित नहीं किया और अपीलकर्ता आदेश के बारे में कई बार पता लगाता रहा तो न्यायालाय के कर्मचारियों व्दारा कहा जाता रहा कि अभी आदेश पारित नहीं हुआ है और दिनांक 26-2-13 को न्यायालय के कर्मचारियों व्दारा आदेश की जानकारी दी गई - स्पष्ट है कि म्याद अधिनियम के आवेदन में वास्तविक स्थिति के विपरीत तथ्यों का अंकन किया गया है। परिलक्षित है कि अनावेदक क-2 अपर आयुक्त के समक्ष स्वच्छ मन से नहीं आया था इसके वावजूद अपर आयुक्त ने वास्तविक तथ्यों पर गौर न

करते हुये अनुचित विलम्ब को क्षमा करने में भूल की है, जिसके कारण अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 47 अ-6/ 2012-13 अपील में पारित आदेश दिनॉक 24-6-16 त्रृटिपूर्ण है जिसे स्थिर नहीं रखा जा सकता।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 47 अ-6/12-13 अपील में पारित आदेश दिनॉक 24-6-16 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर